संवेदक चयन हेतु निविदा आमंत्रण सूचना– 01/2017

1. विज्ञापनदाता का नाम– जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, खगड़िया।
2. निविदा प्राप्त की अंतिम तिथि– विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 15वें दिन तक मध्याह्न भोजन योजना कार्यालय, खगड़िया में सील बंद निबंधित डाक द्वारा प्राप्त हो जाना चाहिए। यदि अंतिम तिथि को अवकाश हो तो उसके अगले तिथि को निविदा प्राप्त की जाएगी।
3. निविदा प्राप्ति का स्थान– कार्यालय, बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति, खगड़िया, गांधी पार्क के पीछे, बलुआही, वार्ड नंबर– 19, खगड़िया।
4. कार्य का विवरण– बेलदौर, गोगरी, खगड़िया, मानसी एवं परबत्ता प्रखंड हेतु संवेदक का चयन।
5. निदेशक मध्याह्न भोजन योजना, बिहार,पटना के पत्रांक 5068 दिनांक 25.04.11 के आलोक में प्रखंडों में अवस्थित राज्य खाद्य निगम के गोदाम से मध्याह्न भोजन योजना के खाद्यान्न का उठाव कर उपरोक्त प्रखंड के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के भंडार गृह तक पहुंचाने के लिए निम्नांकित शर्तों के अधीन मुहर बंद निविदा आमंत्रित किया जाता है।
6. निविदा की शर्तें निम्नवत् है:–
   - आवेदक को 15 पंचायत के प्रखंड हेतु न्यूनतम 05 बैध वाहन तथा 15 से अधिक पंचायतों के प्रखंड हेतु न्यूनतम 08 वैद्य वाहन यथा ट्रैक्टर/पिक–अप भान मालिक का लिखित इस आशय का एकरारनामा, 20/– रूपये मूल्य के नन–ज्यूडिसियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करना होगा कि "चयन होने की स्थिति में वे वाहन मालिक अपने ट्रैक्टर/ पिक–अप भान को आवेदित प्रखंड में मध्याह्न भोजन योजना के खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण हेतु आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायेंगे।" संवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये व्यवसायिक वाहनों का रोड टैक्स/ फिटनेस/ इन्स्योरेन्स एवं प्रदूषण प्रमाण पत्र अद्यतन होना चाहिए। जिसकी छायाप्रति वे आवेदन के साथ संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे।
   - वाहन मालिक के खगड़िया जिला का निवासी होना अनिवार्य है।
   - एक वाहन मालिक केवल एक ही आवेदक के साथ एकरारनामा कर सकते हैं।
   - निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना, बिहार, पटना के पत्रांक– 2189, दिनांक– 21.12.2016 के निदेशानुसार चयनित संवेदक को Hanging Weigh Machine के द्वारा खाद्यान्न तौल कर विद्यालयों को उपलब्ध कराना होगा।
   - एक आवेदक केवल एक ही प्रखंड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
   - आवेदक के पास अपना पैन कार्ड होना अनिवार्य है, जिसकी छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
   - आवेदक को अपना पर्याप्त वाहन होने की स्थिति में प्राथमिकता दी जाएगी।
   - आवेदक को 50,000/– (पचास हजार) रूपये मात्र का बैंक गारंटी, जो कम से कम एक वर्ष का हो, 1000/– (एक हजार) रूपये मात्र के नन–ज्यूडिसियल स्टाम्प अथवा बैंक द्वारा निर्धारित फार्मेट पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, खगड़िया के पक्ष में जमा करना होगा।
   - आवेदक को पुलिस अधीक्षक/अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र, जो तीन माह के अंदर निर्गत हो, समर्पित करना अनिवार्य होगा। अन्य पदाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
   - सभी कागजात आवेदन के साथ स्वअभिप्रमाणित होना चाहिए।
   - आवेदक को 10,000/– (दस हजार) रूपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट अग्रिम सुरक्षित जमा राशि के रूप में जमा करना होगा (जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना समिति, खगड़िया के नामित), जो सेवा जारी रहने तक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, खगड़िया कार्यालय में जमा रहेगा।
   - समय पर कार्य करने में असफल होने अथवा असंतोषजनक कार्य की स्थिति में संवेदक की सुरक्षित जमा राशि 10,000/– (दस हजार) रूपये मात्र जब्त कर ली जायेगी।
   - चावल का उठाव संवेदक एवं प्रखंड साधन सेवी के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा। मात्रा एवं गुणवत्ता के लिए संवेदक एवं प्रखंड साधन सेवी संयुक्त रूप से जिम्मेवार होंगे। राज्य खाद्य निगम के प्रखंडों में अवस्थित गोदाम से चावल निर्धारित मात्रा में उठाव कर उसी दिन

बिना भंडारित किये विद्यालय के स्टोर तक तौलकर पहुंचाने की जिम्मेवारी संवेदक की होगी, वाहन में प्रयुक्त होने वाले ईंधन, लगने वाली मजदूरी, हथालन व्यय में होने वाली सारी व्यवस्था संवेदक द्वारा की जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा निर्गत उपावंटनादेश के आधार पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, खगड़िया द्वारा MIS से निर्गत मांगपत्र पर प्रखंड साधन सेवी तथा संवेदक दोनों अपने संयुक्त हस्ताक्षर से राज्य खाद्य निगम के प्रखंड में अवस्थित गोदाम से मध्याह्न भोजन योजना के लिए खाद्यान्न का उठाव करेंगे। प्रखंड साधन सेवी द्वारा प्रत्येक माह की 17वीं तारीख तक संवेदक को विद्यालय में खाद्यान्न की आवश्यकता आधारित एक वितरण सूची संवेदक को उपलब्ध कराया जायेगा। प्रखंड साधन सेवी विद्यालय द्वारा विद्यालय में प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा प्राप्त किये गये खाद्यान्न को सत्यापित करते हुए प्रखंड स्तर पर विद्यालय में खाद्यान्न प्राप्ति सूची को समेकित कर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, खगड़िया को माह की 25वीं तारीख तक उपलब्ध कराया जायेगा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, खगड़िया के विद्यालय में खाद्यान्न की प्राप्ति सूची से संतुष्ट होने के उपरांत परिवहन–सह–हथालन मरद में चालीस (40) रूपये प्रति क्विंटल की दर से संवेदक को राशि का भुगतान माह की 27वीं तारीख तक भुगतान करेंगे।

- राज्य खाद्य निगम, खगड़िया के गोदामों से विद्यालय तक खाद्यान्न पहुंचाने के दौरान दुर्घटना अथवा अन्य किसी कारण से खाद्यान्न के बर्बाद होने अथवा चोरी होने की जिम्मेवारी संवेदक की होगी, तथा बाजार दर पर खाद्यान्न की क्षति राशि की प्रतिपूर्ति संवेदक से की जायेगी।
- एकरारनामा वित्तीय वर्ष 2017–18 तक के लिए 31 मार्च 2018 तक के लिए किया जायेगा। संवेदक को असफल होने अथवा असंतोषजनक कार्य की स्थिति में एकरारनामा किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। उठाव में लापरवाही अथवा निष्क्रियता बरतने पर संवेदक पर आर्थिक दंड एवं विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।
- निविदा की शर्तों में परिवर्तन एवं निविदा को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा। मुहर बंद लिफाफे पर मोटे अक्षरों में आवेदित प्रखंड का नाम,आवेदक का नाम एवं मोबाईल नंबर लिखकर निबंधित डाक के माध्यम से स्वीकार किया जाऐगा।
- निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि के अगले कार्य दिवस को जिलाधिकारी,खगड़िया की अध्यक्षता में कार्यालय प्रकोष्ठ में संवेदक चयन समिति के समक्ष निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की मौजूदगी में निविदा खोला जाएगा।
- निर्धारित तथा समान अहर्ता पूर्ण करने वाले एक से अधिक संवेदकों से निविदा प्राप्त होने की स्थिति में लॉटरी प्रणाली से चयन किया जाएगा।
- आवेदन का प्रारूप– 1. निविदा सूचना संख्या 2. आवेदित प्रखंड का नाम 3. आवेदक का नाम 4. आवेदक के पिता का नाम 5. लिंग 6. जन्म तिथि 7. स्थायी पता 8. पत्राचार का पता 9. खाद्यान्न उठाव एवं वितरण हेतु वाहनों की विवरणी 10. बैंक गारंटी की विवरणी 11. सुरक्षित जमा राशि की बैंक ड्राफ की विवरणी 12. आयकर पैन कार्ड की अभिप्रमाणित छायाप्रति 13. चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति 14. पहचान चिन्ह 15. दूरभाष संख्या 16. ईमेल आईडी 17. घोषणाः– मैं घोषण करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दिए गए सभी सूचना पूर्णतः सत्य है। भविष्य में मेरे द्वारा दिया गया कोई भी सूचना गलत पाये जानें पर मेरे विरूद्ध अनुशासनिक/कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। 18. आवेदक का पूरा नाम व हस्ताक्षर।

27/2/17

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, खगड़िया	उप विकास आयुक्त खगड़िया।	जिलाधिकारी, खगड़िया।

27/02/17